वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन,राष्टीय सहारा, जनसन्देश टाइम्स, तरुण मित्र," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 26.10.2024

निर्माणकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया, रेरा से भी शिकायत की

वाराणसी। वीडीए ने अनमोल सेठ के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दाखिल किया है। इसके साथ ही रेरा सचिव को पत्र भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार हबीबपुरा चेतगंज में कक्कर ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक अनमोल सेठ ने तीन तल का नक्शा पास कराकर पांच तल का भवन बनाया था। वीडीए ने अवैध निर्माण सील कर सिगरा पुलिस की अभिरक्षा में दिया था। इस पर अनमोल सेठ ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर कार्रवाई पर रोक का प्रार्थना किया था।

हाईकोर्ट ने आदेश में स्थल पर यथा स्थिति बनाने को कहा। जोनल अधिकारी ने निरीक्षण करने पर पाया कि निर्माणकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सील तोड़कर निर्माण कार्य करा रहा है। इस पर हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया गया। अनमोल सेठ ने फ्लैट्स बेचने के लिए खरीदारों से पैसे जमा कराए था। जबकि फ्लैट की बिक्री से पूर्व रेरा में पंजीकरण जरूरी है। ब्यूरो

वीडीए की खबरें

पेट्रोल पंपों को वैधता नोटिस जारी होगा

वाराणसी। वीडीए सभागार में शुक्रवार को वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बैठक कर शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण आदि की समीक्षा की। सचिव ने जोनल अधिकारियों से कहा कि सभी पेट्रोल पंप को वैधता का नोटिस जारी करें। साथ ही मानचित्र की स्वीकृति की भी जांच करें। बैठक में सचिव ने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण कराएं। सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराएं, बेसमेंट को खाली कराने, अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराएं। कहा कि अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराएं और शमन मानचित्र के सापेक्ष शमन शुल्क जमा कराएं। ब्यूरो

वीडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने ईएसआईसी हॉस्पिटल के सामने बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के क्रम में भोजूबीर सब्जी मंडी चौराहे से लेकर पांडेयपुर फ्लाइओवर तक का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डेवलपमेंट, स्टॉल, वेंडिंग एरिया, पाथवे, पार्किंग, लैंडस्केप एरिया आदि कार्य कराए जाएंगे। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 26.10.2024

रोपवे : एक सप्ताह में होगी यूटिलिटी शिफ्टिंग

वाराणसी। रोपवे निर्माण के कार्य की प्रगति की समीक्षा शुक्रवार को वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। वीडीए सचिव ने एक सप्ताह में यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम कराने के निर्देश दिए। बैठक में एनएचएलएमएल ने कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोपवे स्टेशन और टावरों के निर्माण कार्य के बारे में बताया। प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे समीक्षा की जाएगी। उन्होंने गिरजाघर के पास चल रहे कामकाज को तेज कराने को कहा। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 26.10.2024

वीडीए ने बिल्डर के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका

जागरण संवाददाता, वाराणसी : चेतगंज वार्ड के हबीबपुरा में ग्रुप आफ कंपनी के मालिक अनमोल सेठ के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। साथ ही रेरा में उनके खिलाफ शिकायत की है। वीडीए से भवन सील और हाईकोर्ट से होने के बाद भी मालिक अनमोल सेठ काम करा रहे थे और फ्लैट बिक्री करने के लिए अखबार में विज्ञापन निकलवाए।

विकास प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि हबीबपुरा में अनमोल सेठ ने चार मंजिला मानचित्र स्वीकृत कराया है जिसमें आठ फ्लैट है। दो मंजिल अधिक अवैध निर्माण करने पर वीडीए ने नोटिस जारी करने के साथ उसे सील कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ अनमोल सेठ हाईकोर्ट गए हैं जहां से उन्हें स्थगन आदेश मिला है। उक्त भवन में निर्माण करने की सूचना मिलने पर वीडीएटीम पहुंची थी।

दैनिक जागरण –दि0 26.10.2024

अवैध निर्माण पर बहानेबाजी सुन वीडीए सचिव नाराज, कार्यप्रणाली सुधारें कर्मी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण रोकने, सील भवनों में निर्माण जारी रहने, शमन मानचित्र, बकाया राशि जमा कराने, शिकायतों के निस्तारण को लेकर विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को सभागार में समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी, अवर अभियंता से पूछा लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे बस बहानेबाजी करते रहे, इससे वीडीए सचिव का पारा और गर्म हो गया और उन्होंने चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। अवैध निर्माण बंद नहीं होने पर कार्रवाई तय है।

सचिव ने कहा कि हाईवे और रिंग रोड के किनारे अलग-अलग स्थानों पर योजना प्रस्तावित है। उसे धरातल पर लाने के लिए कई योजनाएं शासन स्तर पर प्रस्तावित हैं। वहीं, क्षेत्र में अवैध निर्माण तेजी से जारी है। बाद में उनके द्वारा कहा जाएगा कि हम कई वर्षों से आबाद हैं, हमें उजाड़ा जा रहा है, हम कहां जाएं, तमाम सवाल उठेंगे, ऐसे में अवैध निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। फिर भी क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी रहना कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाता है।

प्रवर्तन टीम के साथ सभागार में बैठक करते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ● जागरण

- जोनल अधिकारी और अवर अभियंता के पास नहीं था कोई जवाब
- हाईवे और रिंग रोड पर कई योजनाएं प्रस्तावित, बाद में होगी परेशानी

कहा कि कई भवनों को नोटिस जारी करने के साथ शमन मानचित्र दाखिल कराने को कहा गया है जिससे अवैध निर्माण वैध हो जाए लेकिन अभियंताओं की लापरवाही के चलते क्षेत्र में नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। सील भवनों में अवैध निर्माण पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय है।

बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, प्रकाश चंद्र, सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता आरके सिंह, पीएन दुबे आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान –दि0 26.10.2024

रोप वे: सप्ताहभर में शिफ्ट कराएं तार और पाइप

वाराणसी। रोप-वे प्रोजेक्ट के संबंध में शुक्रवार को वीडीए मुख्यालय में विभिन्न विभागों की बैठक हुई। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रोजेक्ट की प्रगति जानी गई। वीडीए सचिव ने सभी संबंधित विभागों को पाइपलाइन, तारों को एक सप्ताह में शिफ्ट कराने को कहा। वहीं अब हर हफ्ते कार्य की समीक्षा होगी। बैठक में एसई अजय पवार, लाला सतीश सुमन रहे।

हिन्दुस्तान –दि0 26.10.2024

रेरा के उल्लंघन में कक्कड़ ग्रुप पर प्राधिकरण सख्त

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन की शिकायत पर रेरा कक्कड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज पर विधिक कार्रवाई कर सकता है। इस बाबत रेरा सचिव को पत्र भेजा है। यह कदम रेरा के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने पर उठाया है। आरोप है कि कंपनी ने हबीबपुरा में दो मंजिलों का अवैध निर्माण कराया और उनकी बिक्री के लिए प्रचार किया है।

कक्कड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अनमोल सेठ ने 900 वर्गमीटर में आवासीय उपयोग के लिए वीडीए से आठ आवासीय फ्लैटों के लिए (जी+3) मंजिल का मानचित्र स्वीकृत कराया है। जबकि दो अन्य मंजिल बनवाई गई है। इसे वीडीए ने सील भी किया था, लेकिन निर्माण जारी रखा। इस पर सिगरा पुलिस के साथ वीडीएकर्मियों की मिलीभगत की भी जांच होगी। वीडीए प्रशासन इसके लिए पुलिस विभाग को भी पत्र लिखेगा।

- **वीडीए प्रशासन ने रेरा सचिव को लिखा पत्र**
- **हबीबपुरा में दो फ्लोर अवैध निर्माण हुआ था**

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बिना अनुमति अवैध रूप से 2 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कराने पर प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की थी। लेकिन सील तोड़कर एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध निर्माण कराया गया। जोनल अधिकारी की जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद अनमोल सेठ पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की गई है। उन्होंने आमलोगों से कक्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज से किसी भी फ्लैट की बुकिंग न कराने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि रेरा के प्रावधानों के तहत बिल्डर को हर फ्लैट में रेरा पंजीकरण नंबर भी देना जरूरी है।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 26.10.2024

रोप–वे परियोजना की हर हफ्ते होगी समीक्षा

समीक्षा

रोड कटिंग खत्म, यूटिलिटी शिफ्टिंग का होगा एक सप्ताह

वाराणसी। रोप-वे परियोजना की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी। इसके निर्माण में हो रही देर को लेकर वीडीए जहां सख्त हो गया है,वही इसके कार्यों की प्रगति को आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक करेंगी। वीडीए सभागार में प्रत्येक गुरूवार सायं 5 बजे को होने वाले इस बैठक में जहां विभाग के अधिकारी शामिल होगें वही इस परियोजना के अधिकारी भी उपस्थित रहेगे।

इसको लेकर वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को रोपवे निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गई। यह परियोजना वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक

एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित की जा रही है। बैठक में एनएचएलएमएल द्वारा कैण्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोपवे स्टेशन और टावरों के निर्माण कार्य में हो रहे देर पर जहां वीडीए सचिव वेदप्रकाश मिश्र ने नाराजगी जाहिर की ,वही इसे तेजी से बराये जाने का निर्देश दिया।

इस दौरान वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिये रोड कटिंग किये जाने और रिस्टोरेसन सम्बन्धित होने की हुई समीक्षा बैठक में वीडीए सचिव ने सभी संबंधित विभागों को यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम एक सप्ताह में कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा है कि अब प्रत्येक सप्ताह गुरुवार शाम 5:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी इस दौरान अधीक्षण अभियंता अजय पवार और लाला सतीश सुमन, विद्युत विभाग, जलकल, और नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

न्यायाधीश –दि0 26.10.2024

जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बंधित 'शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा ,इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में 25 अक्टूबर को सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बंधित 'शमन मानचित्र निस्तारण , बकाया जमा , शिकायत निस्तारण , प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी ट जिसमे सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लॅाटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तर्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया शमन मानचित्र के सापेक्ष आलोच्य सप्ताह में क्रमशः जोन-3 में 1 , जोन-4 में 6, जोन-5 में 2 मानचित्र स्वीकृत किये गये ट जमा शमन शुल्क के मद में क्रमशः जोन-3 में 25 लाख 50 हजार रु0 जमा कराया गया है, जोन-4 में 7 लाख 52 हजार 367 रु0 जमा कराया गया है तथा जोन-5 में 21 लाख 53 हजार 147 रु0 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया है ।बैठक के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, ,जोनल अधिकारी(जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी(जोन-5) श्री प्रकाश कुमार , अवर अभियंता (जोन-3)रविन्द्र प्रकाश (जोन-4)आर0 के0 सिंह (जोन-5) पी0 एन0 दुबे0 उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 26.10.2024

अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा कराया गया कंटेम्ट वाद एवं रेरा में की गयी शिकायत

वाराणसी।आराजी सं0- 65 मौजा हबीबपुर, वार्ड चेतगंज में कक्कर ग्रुप आफ कम्पनी के मालिक एवं भवन स्वामी श्री अनमोल सेठ द्वारा भूखण्ड क्षेत्रफल 900 वर्ग मी0 पर आवासीय उपयोग के अन्तर्गत मात्र 08 आवासीय इकाई हेतु जी+3 तल का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया, परन्तु स्थल पर बिना अनुमति के अवैध रूप से 02 अतिरिक्त तलों का निर्माण करा लिया गया। उक्त अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण द्वारा स्थल / निर्माण को सील बंद कर थाना सिगरा के पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध किये गये कार्यवाही के कारण श्री अनमोल सेठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट योजित कर प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के कार्यवाही से रोकने की प्रार्थना की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका में आदेश पारित करते हुए स्थल पर यथा स्थिति (ऍूँलैं ल्द) बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। जोनल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि निर्माणकर्ता श्री अनमोल सेठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अवहेलना करते हुए यथा स्थिति के आदेशों के विरूद्ध स्थल पर सील तोड़कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के यथा स्थिति के आदेश के विरूद्ध स्थल निर्माण कार्य कराने के कारण प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री अनमोल सेठ के विरूद्ध अवमाननावाद (ण्दहूास्टू) की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। श्री अनमोल सेठ द्वारा उक्त फ्लैट्स को विक्रय करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर क्रेताओं से धनराशि जमा कराते हुए क्रय करने का विज्ञापन दिया गया था। जबकि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत जनसामान्य से किसी भी फ्लैट के विक्रय/धनराशि प्राप्ति से पूर्व रेरा प्राधिकरण में पंजीकरण कराते हुए रेरा पंजीकरण नम्बर भी आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। श्री अनमोल सेठ द्वारा रेरा प्राधिकरण के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए विक्रय किये जाने प्रयास के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा रेरा, सचिव को पत्र प्रेषित करते हुए श्री अनमोल सेठ के विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही का भी अनुरोध किया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 26.10.2024

उपाध्यक्ष वाविप्रा ने किया कार्यस्थल का निरीक्षण

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री

पुलकित गर्ग द्वारा ईएसआईसी हॉस्पिटल के सामने बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के क्रम में भोजूबीर सब्जी मंडी चौराहे से लेकर पांडेपुर फ्लाइओवर तक स्ट्रीट डेवलपमेंट, स्टॉल ,बेंडिंग एरिया, पाथवे ,पार्किंग ,थिमैटिक स्कल्पचर, लैंडस्केप एरिया आदि कार्य कराये जाने का योजना बनाया गया है जिसके सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए मौके पर अर्बन प्लानर उपस्थित रहें।

परफेक्ट मिशन –दि0 26.10.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज निर्माण के सम्बन्ध में किया निरीक्षण

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को ईएसआईसी हॉस्पिटल के सामने बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के क्रम में भोजूबीर सब्जी मंडी चौराहे से लेकर पांडेपुर फ्लाइओवर तक स्ट्रीट डेवलपमेंट, स्टॉल ,वेंडिंग एरिया, पाथवे, पार्किंग, थिमैटिक स्कल्पचर, लैंडस्केप एरिया आदि कार्य कराये जाने का योजना बनाया गया, जिसके सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर अर्बन प्लानर भी उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन –दि0 26.10.2024

वीडीए सचिव ने की जोनवार साप्ताहिक समीक्षा बैठक

- सील भवनो में हो रहे निर्माण कार्यो को सख्ती से बंद कराएं : वेद प्रकाश मिश्रा
- अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का सचिव द्वारा जोन 3, जोन 4 व जोन 5 के जोनल अधिकारियों को दिया गया निर्देश

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में शुक्रवार को सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी। जिसमे सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का सचिव द्वारा निर्देश दिया गया।

शमन मानचित्र के सापेक्ष आलोच्य सप्ताह में क्रमश: जोन-3 में 1, जोन-4 में 6, जोन-5 में 2 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जमा शमन शुल्क के मद में क्रमश: जोन-3 में 25 लाख 50 हजार रु0 जमा कराया गया है, जोन-4 में 7 लाख 52 हजार 367 रु0 जमा कराया गया है तथा जोन-5 में 21 लाख 53 हजार 147 रु0 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया है। सचिव द्वारा जोनल अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सभी पेट्रोल पम्प को वैधता का नोटिस जारी करें तथा जिनके मानचित्र पास है के अतिरिक्त अन्य पर सुसंगत धारा के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाये तथा शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाये। बैठक के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी (जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी(जोन-5) श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियंता (जोन-3) रविन्द्र प्रकाश (जोन-4)आर0 के0 सिंह (जोन-5) पी0 एन0 दुबे0 उपस्थित रहे ।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 26.10.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने भोजूबीर से पांडेयपुर तक का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने ईएसआईसी हॉस्पिटल के सामने बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के क्रम में भोजूबीर सब्जी मंडी चौराहे से लेकर पांडेयपुर फ्लाइओवर तक निरीक्षण किया। भोजूबीर सब्जी मंडी से लेकर पांडेयपुर फ्लाइओवर तक स्ट्रीट डेवलपमेंट, स्टॉल, वेंडिंग एरिया, पाथवे, पार्किंग, थिमैटिक स्कल्पचर, लैंडस्केप एरिया आदि कार्य कराये जाने की योजना बनाया गया है, जिसके संबंध में निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर अर्बन प्लानर उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 26.10.2024

वीडीए ने की शिकायत

वाराणसी (एसएनबी)। चेतगंज वार्ड में मौजा हबीबपुर में कक्कर ग्रुप आफ कंपनी के मालिक एवं भवन स्वामी अनमोल सेठ ने भूखण्ड क्षेत्रफल 900 वर्ग मी. पर आवासीय उपयोग के तहत मात्र 08 आवासीय इकाई के लिए जी+3 तल का मानचित्र प्राधिकरण से पास कराया, लेकिन स्थल पर बिना अनुमति के अवैध रूप से 02 अतिरिक्त तलों का निर्माण कराया गया। अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण ने स्थल/ निर्माण को सील बंद कर थाना सिगरा के पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया था। प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध हुई कार्यवाही से अनमोल सेठ ने हाईकोर्ट, इलाहाबाद में रिट योजित कर प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के कार्यवाही से रोकने की प्रार्थना की। हाईकोर्ट ने उक्त रिट याचिका में आदेश पारित करते हुए स्थल पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किया लेकिन मौके पर ऐसा नहीं पाए जाने पर वीडीए ने हाईकोर्ट में अवमामना की और रेरा से बगैर पंजीकरण के फ्लैटों के विक्रय करने का विज्ञापन देने की शिकायत की है।

तरूण मित्र –दि0 26.10.2024

नक्शा पास न करवाने वाले पेट्रोल पम्प मालिकों के खिलाफ करें उचित कार्यवाही : डा. वेद प्रकाश मिश्रा

- **वीडीए सचिव ने ली शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक**

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया।

वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश अधीनस्थों संग समीक्षा बैठक लेते हुए

शमन मानचित्र के सापेक्ष आलोच्य सप्ताह में क्रमशः जोन-3 में 1 , जोन-4 में 6, जोन-5 में 2 मानचित्र स्वीकृत किये गये व जमा शमन शुल्क के मद में क्रमशः जोन-3 में 25 लाख 50 हजार रु0 जमा कराया गया है।जोन-4 में 7 लाख 52 हजार 367 रु0 जमा कराया गया है तथा जोन-5 में 21 लाख 53 हजार 147 रु0 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया है। सचिव डा. वेद प्रकाश द्वारा जोनल अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सभी पेट्रोल पम्प को वैधता का नोटिस जारी करें तथा जिनके मानचित्र पास है के अतिरिक्त अन्य पर सुसंगत धारा के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाये तथा शिकायतों के समबद्ध एवं गुड्वात्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। बैठक के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी (जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी (जोन-5) श्री प्रकाश कुमार , अवर अभियंता (जोन-3)रविन्द्र प्रकाश (जोन-4)आर0 के0 सिंह (जोन-5) पी. एन दुबे उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 26.10.2024

रोप-वे को लेकर की समीक्षा बैठक

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में रोप-वे निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। यह परियोजना वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित की जा रही है। बैठक में एनएचएलएमएल द्वारा कैण्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक रोप-वे स्टेशन और टॉवरों के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। इस बैठक में विद्युत विभाग, जलकल, और नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। वीडीए सचिव ने यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिये रोड कटिंग की गयी थी। इसका रिस्टोरेसन संबंधित कार्य किया गया इसकी विशेष समीक्षा की गयी। सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम एक सप्ताह में कराने का निर्देश दिया है।

वीडीए सचिव ने शमन मानचित्र को लेकर की समीक्षा

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, 4, व 5 से संबंधित 'शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी। जिसमे सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जांच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति के लिए अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 26.10.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण , बकाया जमा , शिकायत निस्तारण , प्रवर्तन कार्यवाही इत्यादि की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी । जिसमे सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट को खाली कराये जाने के संबंध में, अवैध प्लोटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जाँच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति हेतु अभियान चलाने व क्षेत्रान्तार्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया शमन मानचित्र के सापेक्ष आलोच्य सप्ताह में क्रमश: जोन-3 में 1 , जोन-4 में 6, जोन-5 में 2 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जमा शमन शुल्क के मद में क्रमश: जोन-3 में 25 लाख 50 हजार रु0 जमा कराया गया है, जोन-4 में 7 लाख 52 हजार 367 रु0 जमा कराया गया है तथा जोन-5 में 21 लाख 53 हजार 147 रु0 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया है । सचिव महोदय द्वारा जोनल अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सभी पेट्रोल पम्प को वैधता का नोटिस जारी करें तथा जिनके मानचित्र पास है के अतिरिक्त अन्य पर सुसंगत धारा के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाये तथा शिकायतों के समबद्ध एवं गुद्वात्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। बैठक के दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, ,जोनल अधिकारी(जोन-3) सौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी (जोन-4) प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी(जोन-5) श्री प्रकाश कुमार , अवर अभियंता (जोन-3)रविन्द्र प्रकाश (जोन-4)आर0 के0 सिंह (जोन-5) पी0 एन0 दुबे0 उपस्थित रहे ।